



कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई नोटिस

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) और सुनवाई नोटिस (एचएन) जारी किए गए थे। SCN और HN रिकॉर्ड पर उपलब्ध अंतिम ज्ञात पतों पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एससीएन का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र.मांक	नोटिसी का नाम	नोटिसी का पता	स्क्रिप/केस का नाम	सूचना दिनांक एवं सं.
1	कमोडिटी पंडित/सेवाएँ: मालिक-सुश्री मीनू शर्मा (पैन- KXYPS9957R)	W/O श्री रमेश चंद्र शर्मा गोविंद नगर शिव मंदिर के पास, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश-244001	अपंजीकृत निवेश सलाहका कमोडिटी पंडित/सेवाओं मामले में: प्रोप मीनू शर्मा एवं पीसी ग्लोबल रिसर्च: प्रोप: नेहा गोयल	कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 जून 2024 (सेबी/एनआरओ/एनआरओ/ओडब्ल्यू/पी/2024/19396/1)
2	पीसी ग्लोबल रिसर्च: मालिक- सुश्री नेहा गोयल (पैन: AVJPG5829K)	W/O श्री रोहित गोयल ई-405, एसपीएस रेजीडेंसी वैभव खंड इंदिरापुरम, विंडसर स्ट्रीट, मार्केट शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201014		कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 जून 2024 (सेबी/एनआरओ/एनआरओ/ओडब्ल्यू/पी/2024/19399/1)

नोटिसधारियों को 20 अगस्त 2024 को प्रातः 11:30 बजे, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, सेबी भवन - II, प्लॉट नंबर सी-7, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051 पर सुनवाई का अवसर दिया गया है।

उक्त नोटिसी को सलाह दी जाती है, कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, टॉवर 1, एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किदवानी नगर, नई दिल्ली-110023 से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) और सुनवाई नोटिस (एचएन) सूचना एकत्र करें।

नोटिसी कारण बताओ नोटिस तथा सुनवाई सूचना की प्रति सेबी की आधिकारिक वेबसाइट (www.sebi.gov.in) से" Unserved Summons/Notices) समन / सूचनाएँ (नोटिस) - जिनकी तामील नहीं की जा सकी(" शीर्षक के तहत डाउनलोड कर सकते हैं या harria@sebi.gov.in /gyanendran@sebi.gov.in पर एक अनुरोध भेजकर कारण बताओ नोटिस तथा सुनवाई सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यदि नोटिसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platform) के माध्यम से सुनवाई की इच्छा रखता है, तो उसे ऊपर उल्लिखित ईमेल पर सूचित किया जा सकता है।

यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या नोटिसी या अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सेबी रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे कार्यवाही कर लेगा।

दिनांक: 01 अगस्त 2024

स्थान: मुंबई

ज्ञानेंद्र नीरज

उप महाप्रबंधक

CBC 15204/11/0078/2485